न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 27 / 17 (2017 / 00174) **वर्ष 2017**

बउनवानीः–

1. बंशीलाल पुत्र जगन्नाथ अहीर निवासी जुवाड,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. शांति देवी पत्नि बंशीलाल अहीर निवासी जुवाड,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. शक्ति सिंह पुत्र बंशीलाल अहीर निवासी जुवाड,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रामलाल पुत्र केसरलाल अहीर निवासी जुवाड,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. गजानन्द पुत्र केसरलाल अहीर निवासी जुवाड,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. भरतलाल पुत्र केसरलाल अहीर निवासी जुवाड,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. आवंटन सलाहकार समिति जरिये आवंटन अधिकारी उपजिला कलेक्टर स0मा0

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 10.01.2002 उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970)

उपस्थितः– 1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील प्रार्थीगण

2. श्री रघुनन्दन सिंह राजावत वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– **दिनांक 9.9.2019**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.01.2002 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा ग्राम जुवाड के स्थायी निवासी व शान्तिप्रिय व्यक्ति है। आराजी ख0न0 236 साबिक एवं हाल ख0न0 571 वाके ग्राम जुवाड में स्थित है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी है जिसपर प्रार्थीगण बजमाने बुजुर्गान से कब्जा कर काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 2.4.2017 को विपक्षीगण ख0न0 571 पर आये और नाप चौप करने लगे तो प्रार्थीगण जो अपने खेत पर काम कर रहे थे तो उन्होने पूछा कि वे ऐसा क्यो कर रहे है तो उन्होने बताया कि उन्होने ख0न0 571 का आवंटन अपने पक्ष में करवा रखा है एवं जल्दी ही इस रास्ते को अपने खेत में मिलाकर इस पर काश्त करेगें। प्रार्थीगण को घोर आश्चर्य हुआ एवं विपक्षीगण ने प्रार्थीगण से कहा कि यह हमारे रास्ते की भूमि है तो प्रार्थी ने कहा कि इस जमीन को हम 1981 से काश्त करते आ रहे है रास्ते का इस भूमि से कोई वास्ता नही है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के पक्ष के किये गये आवंटन आदेश की तलाश करने पर मालूम हुआ कि विपक्षीगण की मां किस्तूरी देवी के नाम इस भूमि का वर्ष 2002 में आवंटन किया गया है। आवंटन आदेश में 13 बिस्वा भूमि दिखायी गयी है जो गलत है सम्वत् 2042–45 की जमाबन्दी अनुसार केसरलाल के खाते में 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। इस प्रकार वरवक्त आवंटन आवंटी के पति केसरलाल के

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

खाते मे भूमि थी एवं वह भूमिहीन व्यक्ति नही था। वरवक्त आवंटन किस्तूरी के परिवार के पास भूमि होने के कारण वह भूमिहीन की श्रेणी मे नही आती है इसलिए आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन करने से पूर्व धारा 5 के अनुसार कोई अनऑकोपाईड भूमि की लिस्ट तैयार नही की गयी ना ही धारा 7 के अनुसार कोई प्रोकालमेशन जारी किया गया ना ही कोई इन्क्वायरी की गयी, ना ही कोई रजिस्टर मेन्टेन किया गया ना ही कोई सार्वजनिक सूचना व विज्ञप्ति जारी की गयी। गुपचुप तरीके से यह आवंटन किया गया है यदि उक्त सभी प्रकिया सम्पादित की होती तो प्रार्थीगण अपनी आपत्ति तत्समय दर्ज कराते। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का सतत कब्जा रहा है इसलिए आवंटी किस्तूरी देवी को कब्जा देने व आवंटी द्वारा काश्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। आवंटन प्रार्थना पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान,2001 मे राजकीय भूमि के आवंटन हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह भी अनकम्पलीट है इसके सभी कॉलम खाली पडे हुए है जिसके आधार पर भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। कब्जा रिपोर्ट भी गलत है क्योंकि जिन व्यक्तियों के सामने कब्जा दिया गया है उनमे विनोद यादव की उस समय आयु 10 वर्ष थी जो कि नाबालिग था एवं दूसरा गवाह भी मौके पर नही था। यह तर्क भी दिया कि विपक्षीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में प्रार्थीगण के विरूद्व दावा पेश किये जाने पर जानकारी प्राप्त हुई है। जिसमे अप्रार्थीगण ने ख0न0 571 को अपने खेत पर जाने का रास्ता बताया है जबकि वास्तविक रूप से उक्त भूमि पर शुरू से प्रार्थीगण का कब्जा रहा है और यह भूमि कभी भी आवंटन योग्य नही थी। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी किस्तूरी देवी के पक्ष में आवंटन विधिवत किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रृटि नही है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन आदेश मे प्रार्थी द्वारा कोई तथ्य नही छिपाया है वरवक्त आवंटन मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आवंटी के पति के खाते 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि का इन्द्राज किया गया है। जिसमे प्रार्थीया का नोशनल शेयर 5 भाग होने के कारण प्रार्थीया भूमिहीन की श्रेण मे ही आती है। वकील अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 12 (पेज संख्या 128) पेश किया गया जिसके अनुसार आवंटन की मात्रा के अनुसार संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित हो 10 एकड अर्थात 15 बीघा भूमि से अधिक नही होनी चाहिए। इस प्रकरण में आवंटी के परिवार/पति के खाते मे 15 बीघा भूमि नही है। यह तर्क भी दिया आवंटन फार्म के सभी आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर आवंटन कमेटी द्वारा ख0न0 236 हाल ख0न0 571 मे 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी है तथा आवंटन आदेश पर सम्पूर्ण आवंटन कमेटी के हस्ताक्षर मौजूद है। यह कथन भी किया कि आवंटित भूमि का आवंटी को दिनांक 4.2.2002 को कब्जा सम्भलाया गया है इसलिए प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा होने बाबत किया गया कथन मिथ्या है। यह तर्क भी दिया कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे वाद विचाराधीन है जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया है तथा आवंटित भूमि का आवंटी व उसके बाद उसके वारिसान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। यह तर्क भी दिया कि जब वाद पहले से लंबित है तो 14(4) की कार्यवाही प्रारम्भ नही की जा सकती है एवं धारा 14(4) की कार्यवाही के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार निरस्त नही किये जा सकते है कथन के समर्थन में आरआरटी 2014(2) पेज 1150 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी के कब्जे के आधार पर भी प्रार्थीया का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है कथन के समर्थन में आरआरडी 14.7.2008 पेज संख्या 454 एवं आरआरडी फरवरी,2008 पेज संख्या 125 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि आवंटी के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वकील प्रार्थीगण द्वारा आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन विधि विरूद्व किया जाना तथा आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने बाबत किये गये कथन के समर्थन में को ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। इसके विपरीत आवंटन मिसल का अवलोकन एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन कि आवंटी किस्तूरी देवी को ख0न0 236 का दिनांक 10.01.2002 को आवंटन कमेटी द्वारा सभी कानूनी प्रकिया पूर्ण करते हुए सम्पूर्ण आवंटन कमेटी के हस्ताक्षर से आवंटन किया गया है। तथा आवंटित भूमि पर दिनांक 4.2.2002 को दो गवाहों के सामने आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन मिसल के अनुसार किस्तूरी देवी के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक ;Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है। आवंटित भूमि का आवंटी व उसके पश्चात अप्रार्थीगण जो कि आवंटी के वारिसान है को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन के समर्थन में उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस प्रकरण मे बखुबी चस्पा होते है। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानी प्रार्थना पत्र से संबंधित आराजीयात को लेकर पक्षकारान के मध्य उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर में प्रकरण जैरकार है जिसमे पक्षकारान का हित तय होना है। ऐसी स्थिति में न्याय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी के पक्ष में विधिवत किये गये आवंटन आदेश दिनांक 10.1.2002 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.9.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.19 17:54:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: